

भाग—2

विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2017–18) की प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना प्रशिक्षण विभाग अनुदान संख्या 16 (धनराशि लाख रूपये में)

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले राजस्व/पूँजीगत	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा	
	राज्य सैक्टर						
अनु०सं०-१ 6		लेखा शीर्षक—2230-03-001-01 निवेशन तथा प्रशासन					
		राजस्व	पूँजीगत				
01 निवेशाल य स्थापना	इस योजना के अन्तर्गत निवेशालय के वेतन भत्तों एवं सामान्य कार्यसंपादित किये जाने हेतु व्यय सम्मिलित है	289.23	0	इसके अन्तर्गत विभाग के कार्य संचालन हेतु निवेशालय में कार्यरत 42 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों एवं सामान्य कार्यसंचालन विभागीय कार्य को गति देने हेतु व्यय सम्मिलित है।	1वर्ष	प्रशिक्षण विभाग के कार्यों के निरीक्षण/अनुश्रवण हेतु निवेशालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों को गति देने एवं विभाग को सहयोग प्रदान किया गया है।	1वर्ष
अनु०सं०-१ 6	2230-03-003-03	राजस्व	पूँजीगत				
03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के वेतन भत्तों एवं सामान्य कार्य संचालन हेतु तथा नई	9414.96	0	इस योजना के अन्तर्गत लगभग 12000 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा सामान्य प्रशिक्षण कार्य सम्पादित किये	1वर्ष	इस योजना के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न उद्योगों में सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।	1 वर्ष

	रा०औ०प्र०सं० हेतु व्यय सम्मिलित हैं			जाने हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।			
अनु०सं०-१ ६	2230-03-102-03	राजस्व	पूँजीगत				
0102-03 शिशिक्षु प्रशिक्षण	इस योजना के अन्तर्गत शिशिक्षु प्रशिक्षण हेतु मानदेय एवं यात्रा व्यय एवं प्रशिक्षण व्यय आदि सम्मिलित हैं	1.69	0	इस योजना के अन्तर्गत 8000 प्रशिक्षार्थी शिशिक्षु प्रशिक्षण हेतु मानदेय एवं यात्रा व्यय एवं प्रशिक्षण व्यय किया जाता है।	1वर्ष	इस योजना के अन्तर्गत शिशिक्षु प्रशिक्षण हेतु मानदेय एवं यात्रा व्यय एवं प्रशिक्षण व्यय किया जाता है जिससे प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट में सहयोग प्रदान होंगे।	1वर्ष
अनु०सं०-१ ६	2230-03-003-07	राजस्व	पूँजीगत				
07 रा०औ०प्र० सं० का सुदृढीकरण	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न रा०औ०प्र० सं० हेतु लधु निर्माण, मशीन साज सज्जा एवं अनुरक्षण कार्य हेतु व्यय सम्मिलित है।	230.00	0	इस योजना के अन्तर्गत निर्माण / मरम्मत व्यय एवं 12000 प्रशिक्षार्थियों हेतु साज सज्जा की पूर्ती हेतु व्यय किया जाता है।	1वर्ष	इस योजना से विभिन्न रा०औ०प्र०सं० में निर्माण / मरम्मत से औ०प्र०सं० सुदृढ़ होंगे।	1 वर्ष
अनु०सं०-१ ६	2230-03-003-08	राजस्व	पूँजीगत				
08 सलाहकार समिती	इस योजना के अन्तर्गत शासन से नियुक्त अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा भत्ता आदि व्यय सम्मिलित है।	12.10	0	इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा नामित सलाहकार द्वारा विभागीय कार्यों को गति देने हेतु सुझाव प्रदान किये जाते हैं।	1वर्ष	इस योजना से सलाहकार समिती द्वारा उच्च सुझाव देने से प्रशिक्षण कार्य मजबूत होगा।	1वर्ष
अनु०सं०-१ ६	2230-03-003-09	राजस्व	पूँजीगत				
09 नये व्यवसाय/ अतिरिक्त	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न रा०औ०प्र०सं० में नये व्यवसाय / अतिरिक्त युनिट हेतु व्यय	50.08	0	इस योजना के अन्तर्गत नये ट्रेड / अतिरिक्त युनिट खोलने से प्रशिक्षार्थियों की संख्या में और	1वर्ष	प्रशिक्षितों की संख्या में वृद्धि से उधोगों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित कुशलकर्मियों की	1वर्ष

युनिट	सम्मिलित है।			वृद्धि होगी।		उपलब्धता सुनिश्चित होगी।	
अनु०सं०-१६	2230-03-800-0101	राजस्व	पूँजीगत				
800-02 स्किल डेवलपमेन्ट	इस योजना के अन्तर्गत परियोजना निदेशक कौशल विकास देहरादून को विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के युवाओं को कौशल प्रदान कर उद्यमिता एवं रोजगार से जोड़े जाने हेतु व्यय सम्मिलित है।	1000.00	0	इसके अन्तर्गत राज्य के 10000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से उद्यमिता एवं रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित कर तृतीय पक्ष से मुल्यांकन कर प्रमाण किया जाना प्रस्तावित है।	1वर्ष	उत्तराखण्ड कौशल विकास समिती द्वारा 10000 युवाओं प्रशिक्षित किये जाने हेतु योजना का प्रचार प्रसार पंजीकृत किया जाना प्रस्तावित है साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र के क्षेत्र में निवास न करने वाले युवाओं को भत्ता दिया जाना है।	1वर्ष
2230-03 -003-97 -01	वर्क फोर्स डेवलपमेन्ट फार मोडर्न इकोनोमी	0.01	-		1वर्ष		1वर्ष
2230-03 -003-01 -02	मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 70प्रतिशत केन्द्र सहायतित	40.00	-		1वर्ष		1वर्ष
		राजस्व	पूँजीगत				
अनु०सं०-१६	4216-80-001-07						
4216-07 रा०औ०प्र० स० का सुदृढीकरण	24-वृहद निर्माण – इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न रा०औ०प्र०स० के भवन निर्माण आदि कार्य हेतु व्यय सम्मिलित है।	0	200.00	इस योजना के अन्तर्गत 7 रा०औ०प्र०स० के भवन निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने पर व्यय किया जाना है। तथा 16 नये रा०औ०प्र०संस्थानों के भवन निर्माण के कार्य प्रारम्भ किये जाने पर व्यय किया जाना है।	1वर्ष	इस योजना के अन्तर्गत रा०औ०प्र०स० के भवन निर्माण कार्य होने से प्रशिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान होंगे।	1वर्ष

अनु०सं०-१६	4216-80-003-03	राजस्व	पैंजीगत				
4216-03 नाबार्ड के अन्तर्गत रा०आ०प्र०स० स० भवन का निर्माण का समिलित है।	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न रा०आ०प्र०स० के भवन निर्माण हेतु नाबार्ड के माध्यम से निर्माण कार्य हेतु व्यय समिलित है।	0	1200.00	इस योजना के अन्तर्गत 23 रा०आ०प्र०स० के भवन निर्माण पर व्यय किया जाना है।	1वर्ष	इस योजना के अन्तर्गत रा०आ०प्र०स० के भवन निर्माण कार्य होने से प्रशिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान होंगे।	1वर्ष
		राजस्व	पैंजीगत				
अनुदान संख्या 30	2230-03-003-02-0201 आच्छादित रा०आ०प्र०स० का सुदृढीकरण (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)						
0201 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा०आ०प्र०स० हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय समिलित है।	356.00	0	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा०आ०प्र०स० हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय किया जाता है।	1वर्ष	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा०आ०प्र०स० हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय किये जाने से प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिये पर्याप्त उपकरण / स्थान उपलब्ध होंगे।	1वर्ष
		राजस्व	पैंजीगत				
अनुदान संख्या 31	2230-03-796-03-0301 आच्छादित रा०आ०प्र०स० का सुदृढीकरण (द्रायबल सब प्लान)						
0301 द्रायबल सब प्लान	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा०आ०प्र०स० हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय समिलित है।	190.50	0	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा०आ०प्र०स० हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय किया जाता है।	1वर्ष	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा०आ०प्र०स० हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय किये जाने से प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिये पर्याप्त उपकरण / स्थान उपलब्ध होंगे।	1वर्ष